

दिनांक	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला। ऑर्डर-शीट सरकार बनाम विशाल उर्फ बिट्टू वगैरह फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 17/15 (25/15)	विवरण
10.11.2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। मुल्जिम विशाल उर्फ बंटी वर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। गवाह आज कोई हाजिर नहीं है, गवाहों की जारीसुदा तामीले लौटकर प्राप्त नहीं हुई है। अतः साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17 को जरिए बी/डब्ल्यू 5000/- से पुनः तलब किया जावे, गवाहों की तामीलो पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण पुराना है तथा वर्ष 2013 से लंबित होने के साथ ही न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है अतः गवाहों की तामील असात्तन विशेष वाहक कि नियुक्ति द्वारा करवाई जावे। गवाहों की तामील अपने निर्देशन में करवाने हेतु संबंधित एस.पी. को डी/ओ लेटर जारी किया जावे। अभियोजन अधिकारी को उक्त गवाहों को पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है, अभियोजन अधिकारी उक्त गवाहों को पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन के दिनांक 02.12.2025 को पेश हो।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला (राजस्थान)	